प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गयी है।

प्रतिवेदन में नवंबर 2013 से मार्च 2023 की आच्छादित अवधि में 'लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं संचालन' विषय पर आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में नवंबर 2013 से मार्च 2023 की अवधि के लिए नमूना-लेखापरीक्षा में प्रकाश में आए दृष्टान्त उल्लिखित हैं; वर्ष 2022-23 के बाद के प्रकरणों को भी आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित की गयी है।